नेशनल / मेगा लोक अदालत दिनांक 12 दिसंबर—2015, गोहद तहसील न्यायालय गोहद जिला भिण्ड खण्डपीठ कमांक—21

(समक्षः पी०सी०आर्य)

क्लेम प्रकरण कमांकः 36 / 2015 संस्थित दिनांक—16.09.2015 फाइलिंग नं—230303009722015

-::- <u>अधि-निर्णय</u> -::

(आज दिनांक 12/12 /2015 को नेशनल/मेगा लोक अदालत में घोषित)

अनावेदक क्रमांक–1 व 2 द्वारा श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता।

1. आज इस खण्डपीठ के समक्ष मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण कमांक—36 / 15 नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रकरण के पक्षकारानगण आवेदक सुनील एवं अनावेदक क0—1 व 2 बृजमोहन शर्मा एवं सोनेराम गुर्जर के मध्य इस आशय का समझौता हुआ है कि दिनांक 23.01.15 को गोहद थाना क्षेत्रांतर्गत कनीपुरा तिराहा से आगे अनावेदक कमांक—2 के स्वामित्व की टी०व्ही०एस० स्टारसिटी मोटरसाईकिल कमांक—एम०पी०—30एमबी—1378 से हुई सड़क दुर्घटना में आवेदक गंभीर रूप से घायल हुआ जिसके द्वारा क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया था। नेशनल लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य दुर्घटना में पहुंची शारीरिक क्षतियों की पूर्ति बाबत एकमुश्त राशि बीस हजार रूपये में उभयपक्षों के मध्य स्वेच्छ्यापूर्वक समझौता हो गया है तथा प्रकरण व्यय

एवं ब्याज भी नहीं चाहा है। समझौता मुताबिक क्षतिपूर्ति की राशि बीस हजार रूपये अनावेदकगण कमांक—1 व 2 ने आज ही आवेदक को अदा भी कर दिये हैं।

- 2. पक्षकारों के मध्य प्रस्तुत हुआ समझौता विधिसम्मत होकर स्वेच्छ्यापूर्वक किया जाना पाया गया है। आवेदक की पहचान श्री आर0सी0 यादव एड0 द्वारा की गई है। तथा अनावेदकगण की पहचान श्री अरविन्द शर्मा एड9 ने की जिससे मूल मोटर दुर्घटना दावा की तुष्टि हो जाती है। अतः समझौता विधिसम्मत और स्वेच्छ्यापूर्वक होने से वाद विचार स्वीकार किया जाता है।
- 2. समझौता हो जाने से प्रकरण व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया ।

(पी०सी० आर्य) पीठासीन अधिकारी खण्डपीठ क्र0—21 द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(के0पी0 राठौर) (सदस्य) खण्डपीठ क0—21 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(अवध विहारी पाराशर) (सदस्य) खण्डपीट क0-21 गोहद जिला भिण्ड म०प्र० ATTENDED OF THE PORT OF THE PO